

19.04.2023
 पंजाब की फौजदारी कोर्ट (फौजदारी कोर्ट)
 मनीषा (मनीषा) कोर्ट-2, एच.एच.-2 कोर्ट
 आवेदन (आवेदन) कोर्ट में जमा
 कोर्ट में उपस्थित नहीं आया।
 अतः पंजाब की अदालत द्वारा
 एवं अदालत कोर्ट में खारिज की
 जाती है। पंजाब की फौजदारी
 कोर्ट (फौजदारी कोर्ट) द्वारा

अभिषेक कुमार (अभिषेक कुमार)

2
 उपाय विभागाध्यक्ष
 श्री विजयनगर